विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2020 (पौष 6, 1942)

क्रमांक 13113 /मप्रविस-15/विधान/2020.-राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 27 दिसम्बर, 2020 सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, मध्यप्रदेश एतदद्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2020 के मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश की अधिसूचना क्रमांक 11422/मप्रविस-15/विधान/2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को, जिसके द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा को दिसम्बर, 2020 के सत्र के लिए सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आहूत किया गया था, निरस्त करती हूं.

भोपाल :
दिनांक 27 दिसम्बर, 2020

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.".

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

क्रमांक 13114 /मप्रविस-15/विधान/2020 भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2020 (पौष 6, 1942)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्य;

मध्यप्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, भोपाल;
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव, भोपाल;
समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश;
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर;
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल;

जिला दण्डाधिकारी, भोपाल;
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;
उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज;
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), भोपाल संधारण संभाग-एक, भोपाल;

महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली;
महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली;
भारत के समस्त विधान मंडलों के प्रमुख सचिव / सचिव;

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001;
सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली; और
सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90 संसद भवन, नई दिल्ली.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.